

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ

पत्रांक 1578...../2025 दिनांक 03/07/2025

प्रेषक : सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ

प्रेषित : नोडल पदाधिकारी

व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ

महाशय,

सूचित करना है की बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के के ईमेल पत्र दिनांक 24.06.2025 के आलोक में वैसे अधिवक्तागण अथवा Judge Advocate General जो **Ex-Servicemen** हैं, को पैनल अधिवक्ता के रूप में Identification and Empanelment किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न सूचना को व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाय।

अनुलग्नक : 01 फर्द

विश्वासभाजन


03/07/25

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ



कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ

सूचना

पूर्णियाँ, दिनांक 03.07.2025

विषय :- अधिवक्तागण अथवा Judge Advocate General जो **Ex-Servicemen** हैं, को पैनल अधिवक्ता के रूप में Identification and Empanelment करने के संबंध में।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के ईमेल पत्र दिनांक 24.06.2025 के आलोक में सूचित करना है कि वैसे अधिवक्तागण अथवा Judge Advocate General जो **Ex-Servicemen** हैं, को पैनल अधिवक्ता के रूप में Identification and Empanelment किया जाना है।

अतः वैसे अधिवक्तागण अथवा Judge Advocate General जो **Ex-Servicemen** हैं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ के पैनल अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना मंतव्य कार्यालय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर, पूर्णियाँ में दिनांक 05.07.2025 तक समर्पित कर सकते हैं।


03/07/25
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ